न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत धारा 21 सपठित नियम 19(1) पीसीपीएनडीटी एक्ट

प्रकरण संख्या 03/2013(GCMS : 2013/00016)

बेदी अल्ट्रासाउंड सैंटर, 3/15, नेशनल हाईव श्रीगंगानगर जरिये मालिक डॉ. प्रमोद बेदी पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह बेदी निवासी 69 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर

बनाम

स्टेट जरिये उपखण्ड अधिकारी एवं समुचित अधिकारी, पीसीपीएनडीटीए, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.06.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री रणदीप सिंह, पीसीपीएनडीटी कॉर्डीनेटर उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा ने कथन किया कि दिनांक 11.09.2012 को पीसीपीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत बेदी अल्ट्रासाउंड सैंटर, 3/15 नेशनल हाईवे रोड़, श्रीगंगानगर का निरीक्षण समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एक्ट एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्री प्रकाश राजपुरोहित एवं अन्य ने सैंटर का निरीक्षण किया गया था तथा सितम्बर 2012 को रिकॉर्ड मय रजिस्टर आदि जब्त कर अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी के सैंटर का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की थी। परन्तु वर्तमान में अपीलार्थी श्रीगंगानगर से अन्यत्र रहने लग गया है तथा श्रीगंगानगर में संचालित उक्त बेदी अल्ट्रासाउंड सैंटर को भी [illegible] कर दिया है। वे इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। इसलिए [illegible] अपील को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत विभगीय प्रतिनिधि श्री रणदीप सिंह, पीसीपीएनडीएक्ट समन्वयक, श्रीगंगानगर ने कथन किया कि बेदी अल्ट्रासाउंड सैंटर, 3/15 नेशनल हाईवे रोड़, श्रीगंगानगर का निरीक्षण समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एक्ट एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा सैंटर का निरीणण में कमियां पाई जाने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी डॉ. प्रमोद बेदी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 820/2013 दायर की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा डॉ. प्रमोद बेदी को कार्य करने देने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। जिसकी अनुपालना में केन्द्र की मशीन को तत्कालीन समुचित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के द्वारा सील मुक्त कर दिया गया था व कार्य करने की अनुमति जारी की गई। डॉ. प्रमोद बेदी ने दिनांक 11.09.2016 से स्वेच्छा से कार्य करना बंद कर दिया था तथा वे श्रीगंगानगर से अन्यत्र रहने लग गये है। इसलिए उक्त अपील का काई उद्देश्य नहीं रहा है। इसलिए वर्तमान अपील को इसी स्टेज पर खारिज कर दिया जाये, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि दिनांक 11.09.2012 को पीसीपीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत समुचित प्राधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा बेदी अल्ट्रासाउंड सैंटर, 3/15 नेशनल हाईवे रोड़, श्रीगंगानगर का निरीक्षण करने पर सैंटर में कमियां पायी जाने पर अपीलार्थी के सैंटर का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की थी। वर्तमान में अपीलार्थी डॉ. प्रमोद बेदी ने स्वेच्छा से कार्य करना बंद कर दिया है और अपीलार्थी भी इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। इसलिए अपील द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:38:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा धारा 21 सपठित नियम 19(1) पीसीपीएनडीटी एक्ट **के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।** आदेश की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:08 IST
Reason: SelfAttested